राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1211/2020

नारायण सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 10.02.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री चतर सिंह चौहान, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी नारायण सिंह ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 31.12.1960 के जरिये हुई थी। अपीलार्थी ने अपील में यह प्रार्थना की है कि अपीलार्थी को उससे कनिष्ठ व्यक्ति रोशन लाल अग्रवाल के समान लाभ दिये जाये, जो कि रोशन लाल को आदेश दिनांक 08.09.1994 के जरिये प्रदान किये गये थे।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपील का जवाब प्रस्तुत कर अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

3. हमारे द्वारा विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का ध्यानपर्वूक अध्ययन किया गया।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वर्तमान अपीलार्थी ने पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 265/2000 प्रस्तुत की थी। उसमें माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी ने प्रार्थना की थी कि उसे उससे कनिष्ठ व्यक्ति रोशन लाल के समान लाभ दिये जाए, जो कि रोशन लाल को आदेश दिनांक 08.09.1994 के जरिये प्रदान किये गये थे। इस प्रकार पूर्व में प्रस्तुत रिट याचिका में अपीलार्थी ने वहीं प्रार्थना की थी, जो वर्तमान अपील में अपीलार्थी ने की है।

5. माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका संख्या 265/2000 में निर्णय दिनांक 22.08.2008 को पारित किया, जो अनुलग्नक–11 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उक्त रिट याचिका में अपीलार्थी की अपील अत्यधिक देरी से प्रस्तुत किये जाने के आधार पर याचि को कोई लाभ प्रदान किया जाना उचित नहीं माना गया और इस आधार पर याचि द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका खारिज की गई।

6. अतः रिट याचिका खारिज हो जाने के पश्चात अब पुनः 12 वर्ष बाद अपीलार्थी ने पुनः उसी प्रार्थना के साथ यह अपील प्रस्तुत की है। पूर्व में रिट याचिका गुणावगुण पर खारिज हो चुकी है। ऐसे में पुनः उन्हीं आधारों पर अपीलार्थी को इस अपील में कोई लाभ दिया जाना उचित प्रकट नहीं होता है।

7. परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)